# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या 1106/2014/जयपुर**

मैसर्स भरतरी कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार,
ग्राम–राजनोता, तहसील कोटपूतली,
जिला जयपुर ..... अपीलार्थी

बनाम

1. अपीलीय प्राधिकारी, द्वितीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   प्रतिकरापवंचनव–तृतीय, संभाग–तृतीय, जयपुर .....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**

**श्री नत्थूराम, सदस्य**

उपस्थित : :

श्री आर.आर.सिंघवी,
अभिभाषक .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकिशोर खदाव,
उप राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक 18.06.2018

## निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 406/अ. प्रा.–II/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 07.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, द्वारा दिनांक 12.01.2013 को वाहन संख्या आरजे–32/जीए–9575 को अजमेर रोड़, जयपुर पर चैक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन में परचून माल दिल्ली से जोधपुर के लिये परिवहनित किया जा रहा था। वक्त जांच वाहन चालक श्री भरतरी कुमार द्वारा वाहन में परिवहनित परचून माल के समर्थन में श्री परवेश गुड्स कैरियर्स जोधपुर का चालान संख्या 1328, 1092 व 1093 दिनांक 11.01.2013 तथा इन चालानों में इन्द्राज बिल्टियां संलग्न बिल पेश किये गये। दस्तावेज करमुक्त माल फुटवियर से सम्बन्धित थे। करापवंचन के संदेह में वाहन को निरूद्ध किया गया एवं सत्यापन व मूल्यांकन करवाने का निर्देश दिया गया। वाहन चालक/तत्कालीन वाहन प्रभारी लगभग तीन दिन बाद दिनांक 15.01.2013 को श्री भरतरी कुमार के साथ श्री हरवंश लाल ने उपथित होकर जांच अधिकारी को लिखित आवेदन के साथ श्री परवेश गुड्स कैरियर्स जोधपुर की बिल्टी संख्या 13970, बिल संख्या 4883, वेट डी–3 संख्या सी.बी.एस. 003440941, वैट–47 संख्या ए–1229287 पेश किये। अतः बाद में पेश किये गये दस्तावेजों को पश्चावर्ती सोच के तहत पेश किये जाने के कारण जांच अधिकारी ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन दिनांक 16.01.2013 को श्री भरतरी कुमार एवं दो स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में किया गया। परिवहनित माल के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन पर पाया गया कि वाहन में लदे करमुक्त माल के अतिरक्त प्राईवेट मार्का संख्या एसटी/14 के 14 नग एवं 201/20 के 20 नग कुल 34 नगो में 14 प्रतिशत कर योग्य रू0 8,37,85027 का माल बिना विधिक दस्तावेजों के परिवहनित किया गया है तथा वक्त चैकिंग इस माल की घोषणा भी नहीं की गयी है। अतः जांच अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 76(9) के कार्यवाही

लगातार.....2

2m

प्रस्तावित करते हुए अभियोग वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु उपायुक्त(प्रशासन) तृतीय प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय को पत्रावली स्थानान्तरण हेतु निवेदन किया। उपायुक्त(प्रशासन) तृतीय प्रतिकरापवंचन जोन–तृतीय, जयपुर के आदेशानुसार पत्रावली सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–तृतीय, प्रतिकरापवंचन जोन तृतीय जयपुर (जिसे आगे ''कर निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) को स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन कर उपरोक्तानुसार कर योग्य माल का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण, वाहन चालक को कारण बताओं नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में दिनांक 22.01.2013 को ट्रांसपोर्ट कम्पनी श्री परवेश गुड्स कैरियर्स के प्रतिनिधि श्री हरवंश लाल ने उपस्थित होकर जारी नोटिस के संबंध में श्री भरतरी कुमार द्वारा हस्ताक्षरित लिखित जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत वाहन में लदे माल की कीमत 8,37,850/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 2,51,355/– अपने आदेश दिनांक 28.01.2013 द्वारा आरोपित की। कर निर्धारण के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 07.02.2014 के धारा 76(9) के तहत आरोपित शस्ति को यथावत रखा है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की है।

3. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वाहन चालक द्वारा वक्त चैकिंग समस्त दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करवा दिये गये थे। अग्रिम कथन किया कि ट्रांसपोर्टर की गलती से वक्त चैकिंग कुछ दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके जो बाद में दिनांक 15.01.2013 को पेश कर दिये गये थे। परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेजों में माल के प्रेषक व प्रेषिति दोनों के सम्बन्ध में जानकारियां अंकित थी। अतः प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति अविधिक है। उनका अग्रिम कथन यह भी था कि राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व पारित मै0 शुभ एजेन्सी, सरदारपुरा जोधपुर बनाम उपायुक्त(अपील्स) वा.क.जोधपुर व अन्य निर्णय दिनांक 06.05.2016 में यह अवधारित किया गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत जहां धारा 76(2)का उल्लंघन नहीं हुआ है वहा धारा 78(8)के अन्तर्गत शास्ति आरोपित नही जा सकती है तथा जहां धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति अपास्त कर दी गयी है वहां धारा 78(8) के अन्तर्गत वाहन चालक के विरूद्ध शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 श्री मुकेश कुमार निर्णय दिनांक 23.09.2011 में भी यही अवधारित किया गया है। अतः उनका निवदन था कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों को मध्यनजर रखते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जावे एवं अपील स्वीकार की जावे।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को विधिसम्मत होना मानते हुये अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

लगातार.....3

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाहन चालक द्वारा वक्त चैकिंग समस्त दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करवा दिये गये थे। परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेजों में माल के प्रेषक व प्रेषिति दोनों के सम्बन्ध में जानकारियां अंकित थी। अतः प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(9) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। व्यवहारी के अभिभाषक का का यह भी कथन सही है संबंधित व्यवसायी मै0 शुभ एजेन्सी, सरदारपुरा जोधपुर पर भी धारा 76(6) के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपित की गयी थी जो माननीय कर बोर्ड की पूर्व एकलपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 06.05.2016 द्वारा शास्ति को अपास्त कर दिया गया। माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पूर्व पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 श्री मुकेश कुमार निर्णय दिनांक 23.09.2011 में भी यही अवधारित किया गया है कि:–

> **"Rajasthan Sales Tax Act,1994, section 78(2), 78(2)(A), 78(5) and 78(8)- While disallowing the appeal, the Rajasthan Tax Board held that:- Rajasthan Tax Board has already held that when there is no violation of section 78(2), the penalty under section 78(8) cannot be imposed which is clear from this section. Hence when penalty under section 78(5) is set aside, the penalty under section 78(8) against the vehicle driver cannot aslso be imposed.Therefore while affirming the order of DC Appeals, the department appeal is disallowed"**

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों को मध्यनजर रखते हुए, आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 07.02.2014 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम
(नत्थूराम)
सदस्य